वर्ष 2015 से 2020

- वर्ष 2016 में विभाग द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य की गुणवत्तापूर्वक एवं पारदर्शी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु ऑनलाईन निबंधन के साथ-साथ विभागीय मोबाईल एप के माध्यम से अनुश्रवण एवं नियंत्रण की भी व्यवस्था की गई।
- पैक्सों में सदस्यता वृद्धि अभियान को सुगम बनाने हेतु ऑनलाईन सदस्यता निबंधन की कार्रवाई पायलट आधार पर नालन्दा जिले के नूरसराय एवं वैशाली जिला के लालगंज प्रखंडो में प्रारंभ की गयी।
- खरीफ 2016 मौसम में राज्य के सभी 38 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया।
- वर्ष 2016 में राज्य के सभी जिला केन्द्र सहकारी बैंको एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाईसेंस प्राप्त हुआ।
- सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण के तहत वर्तमान में सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंक का कम्प्यूटराईजेशन करते हुए कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत बैंकिंग कार्यों का निष्पादन प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2017 में तृतीय कृषि रोड मैप लागू किया गया। रोड मैप के क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग की भूमिका किसानों के लिए फसल चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा कृषि उपादान (खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि साख आदि), भंडारण क्षमता का सृजन, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, खाद्यानों हेतु न्यूनतम मूल्य की उपलब्धता तथा सहकारी प्रक्षेत्र में संस्थागत विकास हेतु प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित की गयी।

  तृतीय कृषि रोड मैप 2017-23 अन्तर्गत कुल 6.20 किसानों को 1618.21 करोड़ रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया।

  राज्य के पैक्स/व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य के सभी पैक्सों में कम से कम 200/500/1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके तहत अबतक कुल 6,955 पैक्स/व्यापार मंडलों में गोदाम का निर्माण कराते हुए कुल 15 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। इस भंडारण क्षमता का उपयोग समिति द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान/गेहूँ के भंडारण/खाद बीज व्यवसाय/जन वितरण संबंधी कार्य के लिए किया जा रहा है।
- वर्ष 2017 में पैक्सों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पैक्सों को जन वितरण प्रणाली का कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति दिया गया है।
- वर्ष 2017 में पैक्सों को सामान्य व्यवसाय जिसमें विशेषकर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण शामिल करने हेतु मार्जिन मनी उपलब्ध कराया गया है।
- वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री नवाचार योजना अन्तर्गत राज्य में सब्जी के उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन हेतु सहकारी समितियों का गठन किया गया।

- वर्ष 2017 में बिहार सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना को तृतीय कृषि रोडमैप में शामिल किया गया।
- वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री आदर्श प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2017 में सात वर्षीय संचयन गारंटी योजना अन्तर्गत गोदामों का निर्माण कराया गया।
- सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को समेकित रूप से स्थल आवंटित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में **सहकार भवनों** के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है। जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य के कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि हो सके।

  योजनान्तर्गत अभी तक 2,841 पैक्सों द्वारा 17,084 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का निविदा आमंत्रित करते हुए 16,934 कृषि यंत्रों का क्रय आदेश Gem Portal ij Upload किया गया। पैक्सों को अबतक 14,126 कृषि यंत्रों की आपूर्ति की जा चुकी है। आपूरित यंत्रों में से 13,551 यंत्रों के लिए भुगतान विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता कंपनियों को किया जा चुका है।

  लघु एवं सीमांत किसानों के हित संवर्द्धन एवं सुविधाजनक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक दर पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा एक Mobile App का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से किसान घर बैठे ही कृषि यंत्रों की बुकिंग कर उनका लाभ उठा रहे हैं।
- वर्ष 2018 में किसानों की समस्या के समाधान के लिए विभाग द्वारा Interactive Voice response System (IVRS)-SUGAM की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2018 में बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य फसलों क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत फसलवार अधिसूचित क्षेत्रों/ईकाइयों में रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 10 हजार रूपया प्रति हेक्टेयर एवं 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर 7500 रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है।
- खरीफ 2022 मौसम हेतु अब तक कुल 2 लाख 86 हजार 536 किसानों को 296.83 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। रबी वर्ष 2022-23 हेतु 09 अधिसूचित फसलों के लिए कुल 11 लाख 69 हजार 128 किसानों के द्वारा ऑनलाईनआवेदन किया गया है। इस मौसम में लाभुक कृषकों को सहायता राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। इसी तरह खरीफ 2023 मौसम हेतु कुल 15 लाख 96 हजार 922 किसानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिये गये हैं।

- वर्ष 2018 में सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना लागू की गयी। वर्तमान में योजना का आच्छादन हरित, तिरहुत एवं मिथिला तीनों संघो के माध्यम से राज्य के 20 जिलों में किया जा रहा है। इन 20 जिलों में 300 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है। जिसमें अब तक 38,532 सब्जी उत्पादक किसान बन चुके हैं। अभी तक सब्जी व्यवसाय में कुल 61185.73 मीट्रिक टन का टर्न ओवर किया गया है। वर्तमान में पटना शहर में ऑनलाईन के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2020 में राज्य में मधुमक्खी पालन की आपार संभावनाओं को देखते हुए सहकारी ढ़ाँचे के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की समेकित योजना तैयार कर लागू किया गया।
- वर्ष 2020 में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत सहकारी से तरकारी वार्ता प्रारम्भ की गयी।

वर्ष 2020 से अब तक

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पैक्सो में मुख्यमंत्री हरित संयंत्र योजना के तहत कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया गया जिसके तहत चयनित पैक्सो द्वारा कृषि उपकरणों का क्रय जेम पोंटल (GeM Portal) के माध्यम से किया जा रहा है।
- वर्ष 2022 में राज्य के सब्जी उत्पादों के ब्रांड "तरकारी" को बाजार में उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2022 में पैक्स का कम्प्यूटरीकरण योजना राज्य में लागू किया गया।
- पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करने हेतु स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना' लागू की गयी है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के 3 पैक्सों एवं राज्य स्तर पर 3 पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु पैक्सों का चयन विभिन्न कार्यकलापों में किये गये प्रदर्शन के सापेक्ष प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना है। चयनित पैक्सों को जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख रूपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 2 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर चयनित पैक्सों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 10 लाख रूपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 7 लाख रूपये दिये जाने हैं।

Nov. 2024

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

वर्ष 2005 में **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में** नई सरकार के गठन के बाद राज्य में 'सुशासन के कार्यक्रम' निर्धारित किये गये। कृषि का विकास तथा किसानों का कल्याण इन कार्यक्रमों के केन्द्र बिन्दु में रखे गये। कृषि के विकास तथा किसानों के कल्याण का एक सशक्त माध्यम **सहकारिता** है। राज्य सरकार के द्वारा सहकारी समिति के गठन के माध्यम से कई योजनाएँ प्रारंभ की गई। सहकारी समितियों को मजबूत बनाया गया। इनके प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं उसे बढ़ाने हेतु वर्ष 2013 में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये। बिहार के कृषि रोड मैप में सहकारिता विभाग से संबंधित पैक्सों एवं व्यापार मंडलों की भूमिका को असरदार बनाया गया। परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को पैक्स का सदस्य बनाकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का प्रयास किया गया। गोदाम निर्माण के साथ-साथ पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल की भी स्थापना की गई, जिससे पैक्स/किसानों को लाभ हुआ। राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों की अधिप्राप्ति में वर्ष 2005-06 से पैक्सों की प्रभावशाली भूमिका निर्धारित की गयी।

वर्ष 2005 के बाद बिहार राज्य भंडार निगम के अधीन कृषि उत्पादों के समुचित रख-रखाव एवं भंडारण की व्यवस्था हेतु भंडारगृह की संख्या एवं उसकी क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु भी प्रयास किया गया है। वर्ष 2005-06 में इस निगम के अधीन 36 भंडारगृह थे, जिनकी कुल क्षमता 2,23,498 मीट्रिक टन था। वर्तमान में 56 भंडारगृह संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 7,84,863 मीट्रिक टन है। इसके अतिरिक्त मुरलीगंज (मधेपुरा) में 5 हजार मीट्रिक टन, मालीघाट (मुजफ्फरपुर) में 4 हजार मीट्रिक टन तथा मसौढ़ी (पटना) में 1500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण प्रस्तावित है। केन्द्रीय भंडार निगम के (Warehouse Management Solution) ऑनलाइन प्रणाली को Customized कर e-bhandaran (WMS) के रूप में भंडारगृहों के सम्पूर्ण गतिविधियों को एक केन्द्रीयकृत स्वचालित व्यवस्था के तहत संचालित करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है।

वर्तमान समय में सहकारिता विभाग विभिन्न योजनाओं यथा सहकारी समितियों में अधिसंरचना निर्माण, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न अधिप्राप्ति, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना और बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण व विपणन योजना आदि के माध्यम से किसानों के हित में कार्य कर रहा है।

वर्ष 2005 से 2010

- वर्ष 2006 में 714 पैक्स, 69 व्यापार मंडल एवं 41 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में निर्वाचन कराकर जनतांत्रिक गठबंधन का प्रतिष्ठापन किया गया।
- वर्ष 2006 में सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु वैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं को लागू करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2007 में फसल बीमा से संबंधित क्षतिपूर्ति अनुदान के भुगतान को

पारदर्शी बनाने हेतु अनुदान के भुगतान से संबंधित प्रमाण पत्रों का शिविरों के माध्यम से वितरण किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2006-07 में पटना, मुजफ्फरपुर और अररिया जिला में रबी के लिए पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत 'मौसम फसल बीमा योजना' का प्रारंभ किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2006-07 में समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत 519 गोदामों का निर्माण कराया गया।

  योजना अंतर्गत अबतक राज्य के 16 जिलों यथा- सासाराम, बक्सर, गोपालगंज, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी, भोजपुर, सारण, सीवान, कैमूर, खगड़िया, शिवहर, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद तथा अररिया में कुल 244.97 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना कार्यान्वित (पूर्ण) हो चुकी है।
- वर्त्तमान में राज्य के 06 (छः) जिलों यथा - पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण (बेतिया) एवं पूर्णिया में 492.56 करोड़ रुपये की लागत से समेकित सहकारी विकास परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

  अब तक 1851 नये गोदाम (अधिसंरचना) निर्माण, 308 समितियों में गोदाम मरम्मति कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे कुल 303650 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है। अब तक 137 समितियों में कम्पोजिट यूनिट, 787 वर्मी कम्पोस्ट ईकाई, 78 समितियों में कम्प्यूटराइजेशन, 65 समितियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 37 समितियों में एग्री क्लीनिक, 2 समितियों में पशु चारा उत्पादन ईकाई की स्थापना एवं 106 मत्स्य सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए समितियों को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया गया है। परियोजनान्तर्गत कुल 96 समितियों में राईस मिल की स्थापना की गई है एवं 24 समितियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। अबतक आच्छादित सहकारी समितियों के कुल 1,54,571 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- वर्ष 2007 में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से वैशाली जिले के लगुरांव बिलन्दपुर पैक्स कोल्ड स्टोरेज में बायोमास गैसीफायर कार्यरत कराया गया।
- वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप को लागू किया गया जिसमें राज्य के कृषि एवं कृषि आधारित प्रक्षेत्र के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका सामने आयी। सहकारी समितियों द्वारा पैक्सों एवं सहकारी बैंक से किसानों के वित्त पोषण में उन्नति प्राप्त हुई। अनुदान के भुगतान के लिए खरीफ महोत्सव में प्रत्येक प्रखंड में उपादान की समय पर आपूर्ति के लिए विभिन्न योजनायें शामिल की गयी।
- वर्ष 2008 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारम्भ किया गया। इस योजना के तहत् बिहार राज्य भण्डारण निगम के माध्यम से समस्तीपुर, फतुहा एवं छपरा में 5,000 मीट्रीक टन के दो-दो गोदाम एवं मोतिहारी, मोहनियां में 5,000 मीट्रीक टन के एक-एक गोदाम कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) के प्रांगण में बिहार राज्य भण्डार निगम के माध्यम से बनाया गया।
- वर्ष 2008 में लघु जल संसाधन विभाग के अधीन कार्यरत राजकीय नलकूपों

के परिचालन, रख-रखाव, जल वितरण सहित पटवन कर वसूली आदि कार्यों को समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत चयनित पैक्सों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

- वर्ष 2009 में निर्वाचन प्राधिकार द्वारा 8,436 पैक्सों में निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।
- वर्ष 2009 में कैमूर जिला को समेकित सहकारी विकास परियोजना से आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को राज्य में लागू किया गया।
- वर्ष 2010 में सहकारिता अधिनियम में व्यापक संशोधन कर प्रत्येक पंचायत में पैक्स का गठन किया गया।
- सहकारी समितियों में स्थापित लघु उद्योगों में पहली बार ऊर्जा लागत को कम करने एवं गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के दृष्टिकोण से धान की भूसी आदि पर आधारित ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापित किया गया।
- **वर्ष 2005 में नई सरकार के गठन के बाद अधिप्राप्ति का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ तेजी से किया जाने लगा तथा इसके बेहतर परिणाम सामने आए।**
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के आलोक में अब तक 1180617 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति की गई, जिससे कुल 145494 किसान लाभान्वित हुए हुए हैं। पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य उन्हें बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से 48 घंटे के अन्दर तत्काल भुगतान कराये जाने का प्रावधान है।
- किसानों से सुगमतापूर्वक धान क्रय करने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल के कुल 7,342 धान क्रय केन्द्र वर्तमान में क्रियाशील है।
- निगम द्वारा अधिसूचित अद्यतन संचालित 314 सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र, जिसकी क्षमता 9,09,440.40 मीट्रिक टन है, पर प्राप्त सी0एम0आर0 का विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार से प्राप्त चावल के आवंटन के विरूद्ध क्रयकर जन-वितरण विक्रेता के माध्यम से लाभुकों के बीच अधिसूचित दर पर वितरण किया जाता है।
- मिलिंग कार्य के लिए ऑनलाईन पंजीकृत उसना एवं अरवा चावल मिलों की संख्या वर्तमान में 1,541 है। अरवा चावल मिलों की मिलिंग क्षमता 6,340 मीट्रिक टन प्रति घंटा/10,58,458 मीट्रिक टन प्रति माह है। इसी प्रकार उसना चावल मिलों की मिलिंग क्षमता 1,487 मीट्रिक टन प्रति घंटा/7,14,271 मीट्रिक टन प्रति माह है।
- पैक्स/व्यापार मंडलो द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के नमी प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा 12 मीट्रिक टन क्षमता के ड्रायर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत चरणवार कुल 441 ड्रायर पूर्व स्थापित/निर्माणाधीन स्वीकृत चावल मिल के साथ किया गया है।
- इसके अतिरिक्त तृतीय कृषि रोड मैप 2017-23 में कुल 260

पैक्स/व्यापार मंडलों में 02 मीट्रिक टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर के साथ स्थापित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 151 चावल मिल की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक 474 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल की स्थापना की जा चुकी है।

वर्ष 2010 से 2015

- वर्ष 2012 में द्वितीय कृषि रोड मैप लागू किया गया। रोड मैप में सहकारी व्यवस्था एवं संरचना को एक सक्षम सेवा प्रदायी की भूमिका हेतु सशक्त किया गया। सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं का अभाव, आर्थिक रूप से कमजोर संस्थायें जैसे प्रक्षेत्रों में प्रोत्साहन, संरक्षण तथा सुदृढ़ीकरण के कार्य किये गये हैं।
- वर्ष 2012 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 171 पैक्सों में एवं 10 व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु 49.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वर्ष 2012 में पहली पंचवर्षीय योजना से 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में व्यय का आकलन किया गया कि मात्र 10वीं पंचवर्षीय योजना में पिछले 50 वर्षों के समेकित व्यय से अधिक व्यय हुआ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में पिछले 55 वर्षों में हुए समेकित व्यय से अधिक व्यय करने का लक्ष्य रखा गया।
- वर्ष 2013 में द्वितीय कृषि रोड मैप के अन्तर्गत 100 पैक्सों में 1000 मीट्रिक टन, 179 व्यापार मंडलों में 500 मीट्रिक टन एवं 2119 पैक्सों में 200 मीट्रिक टन क्षमता के कुल 2398 गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वर्ष 2013 में ऑफ सीजन में उर्वरकों के भंडारण हेतु प्रति पैक्स 2.00 लाख रुपये की दर से कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु 4950 पैक्सों का चयन किया गया।
- वर्ष 2013 में पैक्सों/व्यापार मंडलों को और प्रज्ञातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 में सदस्यता वृद्धि अभियान प्रारम्भ किया गया।

  राज्य अन्तर्गत 8463 पैक्सों में 1.41 करोड़ सदस्य हैं। जिसमें लगभग 36 लाख महिलायें है। राज्य में पैक्स की सदस्यता प्रत्येक परिवार के सदस्यों को दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑनलाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है जिसमें अब तक 4.62 लाख आवेदकों को पैक्स का सदस्य बनाया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कृषकों को पैक्सों/व्यापार मंडलों में चलाये गये सदस्यता वृद्धि अभियान के अन्तर्गत कुल 8,34,120 नये सदस्य बनाये गये, जिसमें 5,32,483 पुरुष तथा 3,01,637 महिला सदस्य शामिल हुए।
- वर्ष 2015 में सहकारी समितियों के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 में वर्ष 2013 में संशोधन कर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया।